# कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
## इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalfca.forest@uk.gov.in Phone/Fax: 0135 2767611


पत्रांक– 2558 / 12-1 :देहरादूनः दिनांकः 19 अप्रैल, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक, (के0)
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :– जनपद–टिहरी गढवाल में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 71/2017 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अंतर्गत राडागाड से टोला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.425 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/49457/2020

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/02/2021/एफ0सी0/2160 दिनांक 27–01–2021।

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या चाही गयी है। उक्त के क्रम में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त के पत्र संख्या 49/12–1 दिनांक 09.07.2024 एवं 1898/12–1 दिनांक 12.03.2025 के माध्यम से अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

| क्र. सं. | सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त | अनुपालन आख्या |
|---|---|---|
| 1. | वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। | शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जायेगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–01)** |
| 2. | परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। | शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि प्रस्तावक विभाग को सौंपी जायेगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–02)** |
| 3. | **प्रतिपूरक वनीकरण :–**<br>**क)** वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.85 हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम राडागाड, खसरा सं0 4709, 4827, 5732, 5736, 5738, 5739, 5774, 5776, 5781, 5790 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। | **(क)** शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग के व्यय पर ग्राम राडागाड की 6.85 है0 सिविल सोयम भूमि की खसरा सं0 4709, 4827, 5732, 5736, 5738, 5739, 5774, 5776, 5781 एवं 5790 में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों का रोपण कर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा एवं प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि ₹ 23,09,710.00 चालान सं0 4417 दिनांक 08.07.2021 द्वारा जमा करा दी गयी है। **(संलग्न–03क)** |

| क्र. सं. | सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त | अनुपालन आख्या |
|---|---|---|
| | **ख)** रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत 'ओक' प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा। | **(ख)** शर्त के अनुपालन अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वनीकरण के समय कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा। **(संलग्न–3ख)** |
| | **ग)** गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तांतरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ0सी0ए, 1980 की guideline के para 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण एवं नामांतरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्ण आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। | **(ग)** शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम राडागाड की सिविल सोयम भूमि जिसका क्षेत्रफल 6.85 हे0 है, को जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल के आदेश दिनांक 17.05.2022 के माध्यम से विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तांतरित किया गया है। **(संलग्न–3ग)**<br>उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करवाने हेतु अधिसूचना का प्रस्ताव उत्तराखण्ड शासन को प्रषित किया गया है। |
| | **घ)** वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। | **(घ)** शर्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तुत इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है। **(संलग्न–3घ)** |
| 4. | प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है। | शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत ₹ 6,33,000.00 की धनराशि ऑनलाईन ई–चालान सं0 B5450001 दिनांक 06.06.2023 द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। **(संलग्न–4)** |
| 5. | **शुद्ध वर्तमान मूल्य :–**<br>**(क)** इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.425 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। | **(क)** शर्त संख्या के अनुपालन में प्रस्तावक अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि ₹ 32,71,959.00 दिनांक 30.03.2024 को ऑनलाईन जमा की गयी है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–5क)** |
| | **(ख)** विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा। | **(ख)** शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय की बचनबद्धता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में कोई बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–5ख)** |
| 6. | प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 191 trees and 97 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की | शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी सं0 प्रस्ताव के अनुसार 191 वृक्ष एवं 97 saplings से अधिक नही होगी, का कटान/पातन किया जायेगा। प्रस्तावक |

| क्र. सं. | सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त | अनुपालन आख्या |
|---|---|---|
| | जाएगी। | विभाग के द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की लागत जमा की जायेगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–6)** |
| 7. | राज्य सरकार ऑनलाईन पोर्टल पर केवल वन क्षेत्र में पातन होने वाले वृक्षों (191 trees and 97 saplings) की सूची भाग–2 के पैरा 4 में अपलोड करेगी। | शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि 191 वृक्ष एवं 97 saplings को सम्मिलित करते हुए संशोधित प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत परियोजना में आरक्षित वन भूमि में 265 वृक्ष एवं सिविल भूमि में 23 वृक्ष प्रभावित हो रहे है, जिसका विवरण ऑनलाईन भाग–02 में अंकित किया गया है। शेष 106 वृक्ष नाप भूमि में अवस्थित हैं, जिसके फलस्वरूप उक्त का विवरण भाग–02 में अंकित नही किया गया है। परन्तु प्रस्ताव के प्रारूप 19 में प्रभावित होने वाले वृक्षों के विवरण में समस्त वृक्षों की संख्या दर्शायी गयी है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित हैं। **(संलग्न–7)** |
| 8. | डी0एफ0ओ0 सी0ए0 का site suitability certificate प्रेषित करेगा जिसमें क्षेत्र का घनत्व अंकित होगा। DFO may also certify whether 1000 trees per ha can accumulate on CA land as per guideline dated 08.11.2017 in case it is not possible to raise plantation at the rate of 1000 tree per ha, then the balance shall be planted on degraded forest land as per the working plan prescriptions. | शर्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित उपयुक्ता प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्न–8)** |
| 9. | परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे। | परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) द्वारा जमा कर दी गयी है। **(संलग्न–9)** |
| 10. | गाईडलाईन में दिए गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.23 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कडाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जाएगी। | शर्त के अनुपालन में प्रस्ताव विभाग द्वारा इस अशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि गाईडलाईन में दिए गये दिशानिर्देशों के पैरा 11. 23 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कडाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जाएगी। **(संलग्न–10)** |
| 11. | एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। | शर्त के अनुपालन हेतु एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन किये जाने सम्बनी प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्न–11)** |
| 12. | प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों–बीच पौधों की संख्या बढाएगा। | शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढायी जायेगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–12)** |
| 13. | संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे। | शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |

| क्र. सं. | सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त | अनुपालन आख्या |
|---|---|---|
| | | तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–13)** |
| 14. | पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा। | शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–14)** |
| 15. | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। | शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–15)** |
| 16. | वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। | शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–16)** |
| 17. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। | शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–17)** |
| 18. | संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। | शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–18)** |
| 19. | परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। | प्रयोक्ता एजेंसी इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–19)** |
| 20. | वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा। | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–20)** |
| 21. | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य ऐजेन्सीयों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जायेगी। | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–21)** |
| 22. | इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लघंन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देशानुसार फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। | प्रयोक्ता एजेंसी इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–22)** |
| 23. | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी। | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–23)** |
| 24. | प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सोंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–24)** |
| 25. | यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय/आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–25)** |

| क्र. सं. | सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त | अनुपालन आख्या |
|---|---|---|
| | सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। | |
| 26. | अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh. nic/in/) पर अपलोड की जाएगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जा रही है। |

अतः प्रभागीय वनाधिकारी/प्रस्तावक विभाग के अनुरोध के दृष्टिगत प्रश्नगत प्रकरण में वन (संरक्षण एवं संर्वधन) अधिनियम–1980 यथासंशोधित–2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

**संलग्न– यथोपरि।**

**भवदीय,**

**(आर0के0 मिश्र)**
**प्रमुख वन संरक्षक**
**एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,**

**संख्या–2558 / 12-1 दिनांकित।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड, शासन।
2. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, नरेनद्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर।

**(आर0के0 मिश्र)**
**प्रमुख वन संरक्षक**
**एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,**

**मार्ग का नाम –** जनपद टिहरी गढवाल में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 71/2017 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अंर्तगत राडागाड से टोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 3.425 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/49457/2020)

## शर्त सं0–1 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढवाल में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 71/2017 के अर्न्तगत विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अंर्तगत राडागाड से टोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 3.425 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/49457/2020)

## शर्त सं0–2 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपी जायेगी।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

\\Atul-pc\pwd1 13.01.2014\Van Bhoomi bhoomi pratikar\Letter\Praman_patra_NPV_bagwan jabar.doc

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढवाल में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 71/2017 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अंर्तगत राडागाड से टोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 3.425 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/49457/2020)

## शर्त सं0–3 (क) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग के व्यय पर 6.85 है0 ग्राम राडागाड की 6.85 हे0 सिविल सोयम भूमि खसरा संख्या 4709,4827,5732,5736,5738,5739,5774,5776,5781,5790 पर स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों का रोपण कर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहाँ तक व्यवहारिक होगा, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल प्लान्टेशन से बचा जायेगा। प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु रू0 2309710.00 की धनराशि ऑनलाइन चालान द्वारा दि0 08.07.2021 को जमा कर दी गई है।

| | |
|---|---|
| सहायक अभियन्ता | अधिशासी अभियन्ता |
| अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर | अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर |
| मु0 कीर्तिनगर | मु0 कीर्तिनगर |

# —:: प्रमाण पत्र ::—

प्रमाणित किया जाता है, कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0:–71/2017 के अन्तर्गत जनपद–टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड़–कीर्तिनगर के अन्तर्गत राड़ागाड़ से टोला मोटरमार्ग के अन्तर्गत कराये जाने वाले 6.85 हे0 वृक्षारोपण क्षेत्र में 50 प्रतिशत "ओक" प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जायेगा।

वन क्षेत्राधिकारी
कीर्तिनगर रेंज, डांगचौरा
नरेन्द्र नगर वन प्रभाग

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढवाल में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 71/2017 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अंर्तगत राडागाड से टोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 3.425 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/49457/2020)

## शर्त सं0–3 (ग) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा चयनित ग्राम राडागाड की सिविल सोयम भूमि जिसका क्षेत्रफल 6.85 है0 है को वनविभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित कर दिया गया है तथा इस भूमि की राज्य अभिलेखों में वन विभाग के नाम इन्द्राराजी की जा चुकी है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करवाने सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

\\Atul-pc\pwd1 13.01.2014\Van Bhoomi bhoomi pratikar\Letter\Praman_patra_NPV_bagwan jabar.doc

## :आदेश:

भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र सं0 [illegible]/[illegible]/08/02/2021/एफ0सी0/2100 दिनांक 27.01.2021 के द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 [illegible]/2017 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत राजगांव से टोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 3.428है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तित किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसकी शर्त सं0 3(क) में उल्लेख किया गया है कि उक्त विभाग प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.85है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम राजगांव के खसरा सं0 4709,4827,5732,5736,5738,5739,5774,5776,5781,5790 में क्षतिपूरक वनीकरण किया जायेगा।

उक्त के क्रम उपजिलाधिकारी कीर्तिनगर एवं तहसीलदार कीर्तिनगर के द्वारा अपने कार्यालय पत्र सं0 मेमो/रा0का0/सिविल-2021 एवं पत्र सं0 184/रा0का0/सिविल-2021 दिनांक 17.11.2021 के द्वारा रिपोर्ट मय नक्शा, खसराखतौनी संलग्न की गई है। प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

| ग्राम | पट्टी | खाता संख्या | खसरा सं0 | प्रस्तावित रकबा (है0) | भूमि की किस्म |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| टोला | कड़ाकोट | 83/351 | 4709 | 1.630है0 | उत्तराखण्ड सरकार श्रेणी 9(3)ड |
| | | | 4027 | 1.215है0 | |
| | | | 5732 | 1.362है0 | |
| | | | 5736 | 0.567है0 | |
| | | | 5738 | 0.289है0 | |
| | | | 5739 | 0.251है0 | |
| | | | 5774 | 0.211है0 | |
| | | | 5776 | 0.073है0 | |
| | | | 5781 | 0.140है0 | |
| | | | 5790 | 1.082है0 | |
| | | | योग– | 6.85है0 | |

प्रस्तावित विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत राजगांव से टोला तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-2882/XVIII(II)/11-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग-2 दिनांक 11 नवम्बर 2011 एवं शासनादेश संख्या-2365/XVIII(II)/13-18(120)/2010 टी0सी0 दिनांक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगुनी सिविल भूमि वन विभाग के पक्ष प्रत्यावर्तित किया जाता है। यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

अतएव, शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010, राजस्व अनुभाग-2 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर के द्वारा प्रस्तावित किये गये उपरोक्त खसरा नम्बरान मध्ये कुल रकबा 6.85 है0 सिविल भूमि अभिलेखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की जाती है। तहसीलदार कीर्तिनगर तत्काल उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित/इन्द्राजी करना सुनिश्चित करें।

(इवा आशीष श्रीवास्तव)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

**कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।**

संख्या- 335/XI-37(2020-21) दिनांक नई टिहरी, मई 17 2022

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2- आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4- नोडल अधिकारी, वन भूमि हस्तान्तरण, वन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
5- प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।
6- अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 कीर्तिनगर।
7- उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर।
8- तहसीलदार कीर्तिनगर को अनुपालनार्थ प्रेषित।

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढवाल में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 71/2017 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अंतर्गत राडागाड से टोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 3.425 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/49457/2020)

## शर्त सं0–3 (घ) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

वन क्षेत्राधिकारी
कीर्तिनगर रेंज
नरेन्द्र नगर वन प्रभाग
कीर्तिनगर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
कीर्तिनगर उप वन प्रभाग
देवप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढवाल में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 71/2017 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अंर्तगत राडागाड से टोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 3.425 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/49457/2020)

## शर्त सं0–4 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भन हेतु लागत रू0 633000.00 की धनराशि ऑनलाइन ई चालान संख्या B5450001 दिनॉक 06.06.2023 द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी गई है

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

UTTARAKHAND
Phone no./Fax no. 01370-260070
E.mail- eepwdkirtinagar@rediffmail.com

पत्रांक 138 /33 सी दिनांक 12 / 06 / 2023

**सेवा में,**

**प्रभागीय वनाधिकारी**
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती।

विषय – मा0 मुख्यमंत्री धोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत राडागाड से टोला मोटर मार्ग का नव निर्माण (आ0सी0सी0 पिल्लरों द्वारा सीमांकन)

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में इस खण्ड के अन्तर्गत राडागाड से टोला मोटर मार्ग का नव निर्माण (आ0सी0सी0 पिल्लरों द्वारा सीमांकन) हेतु रू0 633000.00 मात्र की धनराशि का **ई चालान सं0 B5450001 दिनांक 6.6.2023** संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है। कृपया प्राप्ति से इस कार्यालय को अवगत कराने की कृपा कीजियेगा।

**संलग्न –** **ई चालान** – 1 नं0

12/06/023

**(इं0 डी0पी0आर्य)**
**अधिशासी अभियन्ता**
अ0ख0,लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

पत्रांक /33 सी दिनांक / /2023

➢ प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता द्वितीय, अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

**अधिशासी अभियन्ता**
अ0ख0,लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर



30 Jun 2023, 9:46

## E-CHALLAN

Treasury Form -209(1)
Financial Handbook Vol. V ,Part - II
Form No. 43A(1)
(See Paragraph 417 and 478)
Challan form for depositing amount

Name of the Treasury / Sub - Treasury / Bank / Bank Branch Srinagar

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Name of the person ( designation if necessary or Organization on whose behalf amount is being paid ) | Executive Engineer TD PWDSrinagar |
| 2 | Address | Srinagar |
| 3 | Registration Number (if necessary) | ------------------------ |
| 4 | Full details of amount to be deposited ( for which purpose and in favour of ) | TRANSFER |
| 5 | Gross value of challan | 633,000.00 |
| 6 | Net value of challan | 0 |
| 7 | Full details of Head of Account ( Transfer From) | 505404337030153 |
| 8 | 13 Digit code of Head of A/C | As per details below |

| S.No. | Services | Detail Head | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | 3250-Forest Division Narendnagar | 8443001090103 | 633000 |
| | Total Amount | | 633000 |

Allotment ID :WH42014231062310000

Voucher Number: B 10540001

Voucher Date: 9/6/2023

Passed Amount

Amount in words: Rupees Six Lacs Thirty Three Thousand Only

CTO/Sr. TO /STO Signature

Executive Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
G.G. Srinagar

IFMS Uttarakhand

Print Date : 08-Jun-2023

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढवाल में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 71/2017 के अर्न्तगत विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अंर्तगत राडागाड से टोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 3.425 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/49457/2020)

# शर्त सं0–5(क) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एन0पी0वी0 के रूप में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 3.425 हे0 हेतु @845000.00 प्रति हे० की दर से रु० 2894125.00 की धनराशि ऑनलाइन ई चालान संख्या 4417 दिनॉक 08.07.2021 द्वारा कैम्पा फंड़ में वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी गई है (प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं एन0पी0वी0 की राशि को संयुक्त चालान द्वारा जमा कर दिया गया है। )

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढवाल में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 71/2017 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अंतर्गत राडागाड से टोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 3.425 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/49457/2020)

## शर्त सं0–5(ख) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि एन0पी0बी0 की दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

| | |
|---|---|
| सहायक अभियन्ता | अधिशासी अभियन्ता |
| अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर | अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर |
| मु0 कीर्तिनगर | मु0 कीर्तिनगर |

**मार्ग का नाम –** जनपद टिहरी गढवाल में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 71/2017 के अर्न्तगत विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अंर्तगत राडागाड से टोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 3.425 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/49457/2020)

## शर्त सं0–6 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 191 वृक्षों से अधिक नहीं होगी का कटान/पातन किया जायेगा। तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

**मार्ग का नाम –** जनपद टिहरी गढवाल में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 71/2017 के अर्न्तगत विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अंर्तगत राडागाड से टोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 3.425 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/49457/2020)

## शर्त सं0–7 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन क्षेत्र में पातन होने वाले वृक्षों की सूची (191 Trees and 97 saplings) ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

# Ownership

## प्रमाण पत्र

**परियोजना का नाम :–** मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 71/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत राड़ागाड़ से टोला तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (लम्बाई 6.00 कि0मी0)।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए खसरा सं0 4709, 4827, 5732, 5736, 5738, 5739, 5774, 5776, 5781, 5790 खतौनी सं0 83/351 उ0ख0 सरकार वर्ग 9(3) (ड) बंजर जो कि उत्तराखण्ड सरकार के नाम दर्ज है। उपरोक्त खसरा सं0 पर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया जा सकता है। उक्त भूमि पर वृक्षारोपण करने के कोई आपत्ति नहीं है।

राजस्व उपनिरीक्षक
राजस्व उपनिरीक्षक
तहसील कीर्तिनगर
टिहरी गढ़वाल

तहसीलदार
तहसीलदार
कीर्तिनगर
टिहरी गढ़वाल

उपजिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
कीर्तिनगर
टिहरी गढ़वाल।

अपर जिलाधिकारी
अपर जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

**मार्ग का नाम –** जनपद टिहरी गढवाल में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 71/2017 के अर्न्तगत विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अंर्तगत राडागाड से टोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 3.425 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/49457/2020)

## शर्त सं0–9 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण एंव अन्य धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड़ में हस्तान्तरित/ जमा की जाने वाले धनराषि ई–पोर्टल के माध्यम से ही जमा की गई है।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

**मार्ग का नाम –** जनपद टिहरी गढवाल में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 71/2017 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अंर्तगत राडागाड से टोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 3.425 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/49457/2020)

## शर्त सं0–10 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि गाईड़लाईनस में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा–11.2 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति वन विभाग को प्रेषित की जायेगी। साथ ही यह इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

**मार्ग का नाम –** जनपद टिहरी गढवाल में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 71/2017 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अंतर्गत राडागाड से टोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 3.425 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/49457/2020)

## शर्त सं0–11 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

**मार्ग का नाम –** जनपद टिहरी गढवाल में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 71/2017 के अर्न्तगत विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अंर्तगत राडागाड से टोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 3.425 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/49457/2020)

## शर्त सं0–12 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क को दोनो किनारें एवं बीचों बीच पर पौधों की संख्या बढ़ाई जायेगी।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

**मार्ग का नाम –** जनपद टिहरी गढवाल में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 71/2017 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अंतर्गत राडागाड से टोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 3.425 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/49457/2020)

## शर्त सं0–15 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

**मार्ग का नाम –** जनपद टिहरी गढवाल में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 71/2017 के अर्न्तगत विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अंर्तगत राडागाड से टोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 3.425 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/49457/2020)

## शर्त सं0–21 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तिरित नहीं की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

**मार्ग का नाम –** जनपद टिहरी गढवाल में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 71/2017 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अंतर्गत राडागाड से टोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 3.425 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/49457/2020)

## शर्त सं0–13 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाये जायेगें।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

**मार्ग का नाम –** जनपद टिहरी गढवाल में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 71/2017 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अंतर्गत राडागाड से टोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 3.425 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/49457/2020)

## शर्त सं0–14 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण संरक्षण 1986 के प्राविधानों के अनुसार यदि आवश्यक हो तो पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

**मार्ग का नाम –** जनपद टिहरी गढवाल में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 71/2017 के अर्न्तगत विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अंर्तगत राडागाड से टोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 3.425 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/49457/2020)

## शर्त सं0–16 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

**मार्ग का नाम –** जनपद टिहरी गढवाल में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 71/2017 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अंर्तगत राडागाड से टोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 3.425 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/49457/2020)

## शर्त सं0–17 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विषेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

**मार्ग का नाम –** जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत बागवान जाबर हिसरियाखाल मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राज मार्ग सं0 58 तक जोड़ने हेतु 1.954 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/41754/2019)

## शर्त सं0–18 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि का परियोजना की लागत पर आर0सी0सी0 पिल्लरों द्वारा सीमांकन वनविभाग की देख–रेख में किया जायेगा अथवा राजि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्राक्लनानुसार लागत रू0 633000.00 की धनराशि ऑनलाइन ई चालान संख्या **B5450001** दिनॉक 06.06.2023 द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी गई है।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

**मार्ग का नाम –** जनपद टिहरी गढवाल में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 71/2017 के अर्न्तगत विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अंतर्गत राडागाड से टोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 3.425 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/49457/2020)

## शर्त सं0–19 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वनक्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

| | |
|---|---|
| सहायक अभियन्ता | अधिशासी अभियन्ता |
| अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर | अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर |
| मु0 कीर्तिनगर | मु0 कीर्तिनगर |

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढवाल में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 71/2017 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अंतर्गत राडागाड से टोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 3.425 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/49457/2020)

## शर्त सं0–20 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढवाल में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 71/2017 के अर्न्तगत विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अंर्तगत राडागाड से टोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 3.425 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/49457/2020)

## शर्त सं0–22 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के पत्र सं0 8बी0/यू0सी0पी0/06/02/2021/एफ0सी0/2160 दिनांक 27.01.2021 द्वारा अधिरोपित शर्तो का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

**मार्ग का नाम –** जनपद टिहरी गढवाल में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 71/2017 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अंतर्गत राडागाड से टोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 3.425 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/49457/2020)

## शर्त सं0–23 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर अन्य शर्त लागू की जाती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उसका भी पालन किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढवाल में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 71/2017 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अंर्तगत राडागाड से टोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 3.425 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/49457/2020)

## शर्त सं0–24 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना निर्माण के दौरान पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगी कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य करेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा, तथा मलवा निस्तारण क्षेत्र में कटाई नहीं की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढवाल में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 71/2017 के अर्न्तगत विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अंर्तगत राडागाड से टोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 3.425 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/49457/2020)

## शर्त सं0–25 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदे**श**/अनुदे**श** आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता अभिकरण की जिम्मेवारी होगी।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

\\Atul-pc\pwd1 13.01.2014\Van Bhoomi bhoomi pratikar\Letter\Praman_patra_NPV_bagwan jabar.doc

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढवाल में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 71 / 2017 के अन्र्तगत विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अंर्तगत राडागाड से टोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 3.425 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/49457/2020)

## शर्त सं0–26 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के पत्र सं0 8वी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 02 / 2021 / एफ0सी0 / 2160 दिनांक 27.01.2021 द्वारा अधिरोपित शर्तो की अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल पर अपलोड़ कर दी जायेगी।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर